झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सफल कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति" (State Level Sanctioning & Monitoring Committee) हेतु दिनांकः .22.12.2017 को सम्पन्न नवीं बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः— संलग्न।

कार्यवाहीः—

सर्वप्रथम मुख्य सचिव—सह—अध्यक्ष के द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया।

प्रधान सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत विभिन्न घटकों यथा प्रथम, तृतीय एवं चतुर्थ घटक अंतर्गत तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR)/Conceptual Layout Plans के सम्बंध में विस्तृत जानकारी दी गयी। प्रस्तावित आवासीय परियोजनाओं के निर्माण हेतु निकायवार भूमि चिन्हित कर ली गई है। परामर्शियों द्वारा निकायवार तैयार की गई DPR/Conceptual Layout Plans का मूल्यांकन एवं अनुमोदन मुख्य अभियंता, UD&HD की अध्यक्षता में गठित SLAC समिति द्वारा प्राप्त कर ली गई है।

योजनान्तर्गत तैयार DPR एवं Conceptual Layout Plans के आधार पर विभिन्न निकायों में आवास निर्माण हेतु समिति द्वारा विस्तृत विचार—विमर्श के उपरान्त निम्न वर्णित निर्णय लिए गएः-

1. **गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की गयी।**
2. **गत बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन पर समिति के द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। (परिशिष्ट क)**
3. **PMAY के प्रथम घटक "स्व—स्थाने" स्लम पुनर्विकास अन्तर्गत निर्मित 13 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPRs) पर अनुमोदन दिया गया।**

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रथम घटक "स्व—स्थाने" स्लम पुनर्विकास अन्तर्गत कुल 13 शहरी स्थानीय निकायों में स्लमों के पुनर्विकास करने हेतु कुल 13,789 आवासों के निर्माण के लिए निकायवार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPRs) तैयार किया गया है। इन आवासों का निर्माण लोक निजी भागीदारी (PPP) के अंतर्गत कराया जाएगा।

इस घटक अंतर्गत स्लमों के पुनर्विकास हेतु चिन्हित भूमि के 50% भूभाग पर स्लमवासियों के पुनर्वास हेतु EWS आवास का निर्माण उपयुक्त आधारभूत संरचना के साथ किया जाएगा, एवं शेष 50% भूभाग को चयनित सफल निविदाकर्त्ता को लीज आधार पर आवंटित किया जाएगा, जिसपर निविदाकर्त्ता द्वारा अपने आवश्यकतानुसार नियमानुकूल वाणिज्यिक/आवासीय/संस्थागत/मिश्रित भूमि उपयोग हेतु संरचनाओं का निर्माण किया जा सकेगा।

जिस आवासीय परियोजना हेतु सफल निविदाकर्त्ता द्वारा निविदा के क्रम में Positive Premium का प्रस्ताव दिया जाएगा, उस स्थिति में निविदाकर्त्ता से प्राप्त धनराशि Jharkhand Slum Redevelopment Fund में जमा की जाएगी, एवं जिस आवासीय परियोजना हेतु सफल निविदाकर्त्ता द्वारा निविदा के क्रम में Grant की मांग की जाएगी, उस स्थिति में निविदाकर्त्ता को Grant का भुगतान Jharkhand Slum Redevelopment Fund से किया जायेगा। इस घटक अंतर्गत परियोजनावार Positive

Premium प्राप्त होने या सरकार द्वारा निविदाकर्त्ता को Grant दिये जाने की स्थिति सफल निविदा निष्पादन के पश्चात स्पष्ट होगी। प्रस्तावित परियोजना अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता राशि रु० 1.0 लाख प्रति आवास होगी एवं लाभुक अंशदान प्रति लाभुक रु० 0.50 लाख होगा।

योजना के प्रथम घटक अंतर्गत निकायवार प्राप्त प्रस्ताव निम्नवत् हैं :–

(Rs. in Crore)

S. No	Name of ULB	No. of DUs	No. of Location	Total Project cost	GoI Share @ Rs.0.01 Cr per DU	Beneficiary Share @ Rs 0.005 Cr. per DU	Developer Share
1	Madhupur	60	1	9.820	0.600	0.300	8.920
2	Lohardaga	140	1	47.080	1.400	0.700	44.980
3	Ranchi	9320	2	1957.300	93.200	46.600	1817.500
4	Dhanbad	1224	5	374.480	12.240	6.120	356.120
5	Gumla	75	1	8.130	0.750	0.375	7.005
6	Khunti	420	1	38.350	4.200	2.100	32.050
7	Bundu	50	1	19.660	0.500	0.250	18.910
8	Medininagar	680	1	136.650	6.800	3.400	126.450
9	Garhwa	160	1	40.060	1.600	0.800	37.660
10	Latehar	820	1	166.030	8.200	4.100	153.730
11	Hazaribagh	220	1	56.490	2.200	1.100	53.190
12	Chirkunda	500	2	126.360	5.000	2.500	118.860
13	Simdega	120	1	11.370	1.200	0.600	9.570
Grand total		**13,789**	**19**	**2991.780**	**137.890**	**68.945**	**2784.945**

7889 26/12/17

भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (7A) पर वांछित सूचना के साथ–साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPRs) भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने पर समिति का अनुमोदन दिया गया।

4. PMAY के तृतीय घटक "भागीदारी में किफायती आवास का निर्माण" अन्तर्गत निर्मित 16 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) पर अनुमोदन दिया गया।

4.1 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक **"भागीदारी में किफायती आवास का निर्माण"** अन्तर्गत राज्य के 16 शहरी स्थानीय निकायों में कुल 5,609 आवासों के निर्माण हेतु निकायवार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPRs) प्राप्त हुई है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:–

(Rs. in Crore)

S. No	Name of ULB	Project Location	No. of DUs	Total Project Cost	GoI Share @ Rs.0.015Cr.	Beneficiary Share @ Rs 0.005Cr.	State Share
1	Sahibganj	Laltok	180	11.290	2.700	0.900	7.690
2	Bundu	Tangra Toli	85	8.490	1.275	0.425	6.790
3	Deoghar	Karnibad	640	40.710	9.600	3.200	27.910
4	Madhupur	Nawadih	120	8.060	1.800	0.600	5.660
5	Mihijam	Kangoi/ Butberia	760	47.660	11.400	3.800	32.460
6	Dumka	Dudhani	160	10.830	2.400	0.800	7.630
7	Ramgarh	kaitha	170	15.990	2.550	0.850	12.590
8	Jamtara	Jamtara no. 3	70	4.640	1.050	0.350	3.240
9	Lohardaga	Juriya	412	34.810	6.180	2.060	26.570
10	Seraikela	Norodih	52	4.230	0.780	0.260	3.190
11	Garhwa	Sonpurwa	360	26.430	5.400	1.800	19.230
12	Medininagar	Aghori Ashram	420	30.450	6.300	2.100	22.050
13	Hazaribagh	Mandaikhurd/ Lakhe	540	40.260	8.100	2.700	29.460
14	Chas	Kala pathar/ Bhawanipur	980	77.680	14.700	4.900	58.080
15	Chirkunda	Subhas nagar	140	9.620	2.100	0.700	6.820
16	Simdega	Saldega	520	42.150	7.800	2.600	31.750
Grand total			**5,609**	**413.300**	**84.135**	**28.045**	**301.120**

उपरोक्त योजना अन्तर्गत आवासों का निर्माण EPC Mode अंतर्गत Design and Build आधार पर किया जाएगा। उक्त हेतु विकासकर्त्ताओं/ निर्माणकर्त्ताओं का चयन खुली एवं पारदर्शी तरीके से

राष्ट्रीय स्तर पर निविदा आमंत्रित कर किया जाएगा। सफल विकासकर्त्ताओं/ निर्माणकर्त्ताओं द्वारा उनको आवंटित आवासीय परियोजना/ परियोजनाओं का विस्तृत DPR तैयार किया जाएगा, जिसपर नियमानुकूल सक्षम प्राधिकारों से तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। प्रस्तावित परियोजना अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता राशि रु० 1.5 लाख प्रति आवास होगी एवं लाभुक अंशदान प्रति लाभुक रु० 0.50 लाख एवं शेष राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (7B) पर वांछित सूचना के साथ–साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPRs) भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने पर समिति का अनुमोदन दिया गया।

4.2 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक <u>"भागीदारी में किफायती आवास का निर्माण"</u> अन्तर्गत राँची नगर निगम के कुल 680 आवासों के निर्माण हेतु परामर्शी द्वारा Conceptual Layout Plans तैयार की गई है। प्रस्तावित आवासीय परियोजना के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है। उक्त आवासों का निर्माण Hybrid Annuity Model के तहत किया जाएगा। उक्त हेतु निर्माणकर्त्ता के चयन हेतु वैश्विक निविदा प्रकाशित की जा चुकी है। उक्त के क्रम में परियोजना अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु विस्तृत Drawings and Designs सफल निविदाकर्त्ता द्वारा तैयार की जाएगी, जिसपर निर्माण पूर्व नियमानुकूल सक्षम प्राधिकारों से तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। प्रस्तावित परियोजना अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता राशि रु० 1.5 लाख प्रति आवास होगी एवं लाभुक अंशदान प्रति लाभुक रु० 0.50 लाख एवं शेष राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उक्त प्लान को अनुमोदित करते हुए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने का अनुमोदन दिया गया।

7889 26/12/17

उक्त के आलोक में परियोजना हेतु केन्द्रांश, राज्यांश एवं लाभुक अंशदान निम्नवत् होंगे:–

केन्द्रांश	:	रु० 1020.00 लाख
राज्यांश	:	रु० 4157.11 लाख
लाभुक अंशदान	:	रु० 340.00 लाख
कुल	:	**रु० 5517.11 लाख**

भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (7B) पर वांछित सूचना के साथ–साथ Conceptual Layout Plans भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने पर समिति का अनुमोदन दिया गया।

5. योजना के चतुर्थ घटक "लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण" अंतर्गत कुल 24 निकायों विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) पर अनुमोदन दिया गया।

मिशन के चौथे घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (Vertical IV) हेतु राज्य के 24 शहरी स्थानीय निकायों के 10,408 एकल आवास निर्माण हेतु निकायवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने का अनुमोदन दिया गया। प्रस्तावित 10,408 आवासों के निर्माण की कुल परियोजना राशि 34450.17 लाख रूपये है। परियोजना अंतर्गत केन्द्रांश, राज्यांश एवं लाभुक अंशदान निम्नवत् है:–

केन्द्रांश	:	रु० 14271.00 लाख
राज्यांश	:	रु० 7135.50 लाख
लाभुक अंशदान	:	रु० 14269.37 लाख
कुल	:	**रु० 34450.17लाख**

अतः लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (7C) पर वांछित सूचना के साथ–साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPRs) भारत सरकार (CSMC) को उपलब्ध कराए जाने पर समिति का अनुमोदन दिया गया।

6. PMAY योजनान्तर्गत तैयार 2 नगर निकायों के "हाउसिंग फॉर ऑल प्लान ऑफ एक्शन" (HFAPoA) पर अनुमोदन दिया गया।

मिशन के सभी घटकों के क्रियान्वयन हेतु "हाउसिंग फॉर ऑल प्लान ऑफ एक्शन" (HFAPoA) तैयार किया जाना है। पूर्व में स्वीकृत 41 नगर निकायों में से 39 नगर निकायों का HFAPoA पर 5वीं बैठक में समिति की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है तथा शेष 2 नगर निकायों यथा मझियांव एवं जमशेदपुर NAC हेतु तैयार किए गए HFAPoA को मार्गदर्शिका के कंडिका 14.5 के अनुसार समिति (SLSMC) के अनुमोदनोपरान्त Central Sanctioning & Monitoring Committee (CSMC), भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जाना है। उक्त के आलोक में शेष 2 निकायों द्वारा अनुमोदित HFAPoA पर समिति का अनुमोदन दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई सम्पन्न की गई।

26/12/2017

सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः– 07/न०प्र०नि०/PMAY (HFA)/01/2015-7889 रांची, दिनांकः 26/12/17

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के प्रधान आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ बैठक में उपस्थित सभी सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.12.17

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।